

14-02-23

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अंचल अधिकारी दुमरी से प्रतिवेदन प्राप्त। अभिलेख दि० 17-02-23 को उपस्थापित करें। आदेशार्थ। दिनांक 17-04-23

14.02.23
LRDC
Dumri

17-04-23

अभिलेख उपस्थापित। आदेश की रकतद टंकित प्रति संलग्न है।

LRDC
Dumri

09-03-24

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्द वाद है, जो कि मौजा: तान्वागुडियो, ग्रामा नं०-134, खाला नं० 06, लॉट नं० 42, रकबा 04 डी० भूमि का जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रथम पक्ष के द्वारा Online वाद दायर कर लाया गया है। इस वाद में अंचल अधिकारी, दुमरी के माध्यम में सुनवाई नहीं किया गया है, सीधे भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम में वाद दायर किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अला आदेशक प्रथम पक्ष को निर्देशा दिया जाता है कि इस वाद के पहले अंचल कार्यालय में दायर करें। अंचल अधिकारी, दुमरी से ^{अनुशासना} ~~अनुशासना~~ प्राप्त होने के उपरान्त इस माध्यम में यह वाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

लेखापति एवं संरक्षित

09/03/24
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमरी।

09/03/24
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमरी।

Certified Copy Issued
17-04-23